पत्रांक-1/पी0एम0सी0/विविध/629/2003-...536.../

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

ई0एस0के0चटर्जी
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (यांत्रिक सहित),
जल संसाधन विभाग, बिहार।

पटना, दिनांक 13/06/2013

विषय:- दो करोड़ रूपये से अधिक लागत वाले कार्यो के SBD के आधार पर प्राप्त निविदा के तकनीकी बीड के निष्पादन हेतु निर्गत विभागीय दिशा-निर्देश के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक-1/पी0एम0सी0/विविध/629/2003-335 पटना, दिनांक 06.03.2009

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक विभागीय पत्र द्वारा एक करोड़ रूपये एवं इसके उपर के कार्यो के लिए SBD के आधार पर प्राप्त होने वाले निविदाओं के तकनीकी बीड के निष्पादनार्थ विभागीय मार्गनिर्देश पूर्व से निर्गत है। इस निर्गत मार्गनिर्देश के आलोक में निविदाओं के तकनीकी बीड के निष्पादन में कठिनाईयों एवं प्राप्त होने वाले परिवादों के मद्देनजर तथा बिहार लोक निर्माण संहित के कतिपय कंडिकाओं में पुनरीक्षण हो जाने के कारण विभागीय स्तर से पूर्व में निर्गत दिशानिर्देश में संशोधन की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

2. विभागीय स्तर पर सम्यक समीक्षोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि SBD के आधार पर दो करोड़ रूपये से उपर के कार्यो के लिए प्राप्त होने वाले निविदाओं के निष्पादन में निम्न प्रक्रिया अपनायी जाए:-

(क) <u>प्रथम प्रक्रम</u>:- यह प्रक्रम निविदाओं के तकनीकी बीड में सफल होने के लिए अनिवार्य होगी। इस प्रक्रम पर असफल पाये जाने वाले निविदाकारों के तकनीकी बीड प्रारंभ में अस्वीकृत होगा एवं किसी भी हालत में विचारणीय नहीं होगा। इस प्रक्रम में निम्न बिन्दु सम्मिलित होंगे:-

(i) Registration (IFB & NIT)

(ii) Earnest Money (ITB-cl-16 & IFB)

(iii) Experience: Similar Nature of Work Executed {ITB-cl-4.5(A) (b)}
(Financial value)

(iv) Turn Over {ITB-cl-4.5(A) (a)}

क्रमशः

(v) Legal Identity-Affidavit {Section 2-sl-2.1(i)}

(ख) <u>द्वितीय प्रक्रम:-</u> इस प्रक्रम पर SBD के तहत eligibility criteria के निम्नांकित बिन्दुओं के संबंध में निविदाकारों को Clarification & Modification का अवसर दिया जायेगा एवं इस क्रम में उन्हीं कागजातों/अभिलेखों की मान्यता दी जाएगी जो निविदा प्राप्ति की तिथि के पूर्व के होंगे। निविदा प्राप्ति के बाद की तिथि के कागजातों/अभिलेखों की अनुमान्यता किसी भी हालत में नही दी जाएगी।

- (i) Technical Personnel {ITB-Cl- 4.5 (B)(b)}
- (ii) Key Plant & Equipment {ITB-Cl 4.5 (B) (a)}
- (iii) Experience in terms of quantity {ITB-Cl 4.5 (A) (c)}
- (iv) Bid capacity {ITB-Cl 4.7}
- (v) Programme of construction {ITB-Cl 4.3& 4.5 (B) (a)}
- (vi) Labour License
- (vii) Power of Attorney {ITB Cl- 4.2(iv)}
- (viii) Liquid asset & Credit Facility

(ग) Litigation History, Investment Ability, Tender validity Period एवं Non association with departmental officials के अन्तर्गत SBD के प्रावधानों को पूरा करने/ पालन करने में जॉच की आवश्यकता नहीं होगी । यदि कोई संवेदक निविदा देता है (डालता है) तो यह माना जाएगा कि वे इन शर्तो को पूरा करते हैं । यदि बाद में पता चलता है कि वे इन शर्तो को पूरा नहीं करते है तो इसके आधार पर उन्हें किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी, बल्कि इसके लिए उनके विरूद्ध विभाग में लागू निबंधन नियमावली के अन्तर्गत कार्रवाई किया जा सकेगा ।

(घ) Proposal of Sub-Contract {ITB-Cl-4.2(iii)} :- जब सम्वेदक प्राक्कलित राशि के 10 प्रतिशत से अधिक राशि के कार्यांश को किसी एक सब-कन्ट्रैक्टर से कराने का प्रस्ताव देता है तो सब-कन्ट्रैक्टर के योग्यता आदि की जॉच करनी होगी। यदि सब-कन्ट्रैक्टर की योग्यता से विभाग संतुष्ट नहीं हो पाता है तो सम्वेदक को अपना प्रस्ताव वापस लेना होगा एवं उस भाग के कार्य को भी निविदादाता को स्वयं करने को तैयार होना पड़ेगा अन्यथा माना जायेगा कि निविदादाता कार्य कराने से भाग रहे हैं एवं उनका Earnest Money जब्त कर लिया जायेगा।

(च) Joint Venture :- Joint Venture के रूप में निविदा में भाग लेने हेतु पथ निर्माण विभाग के ज्ञापांक प्रो0-6/नियम-02/2010-8131(S) पटना दिनांक 24.07.2012 में अंकित शर्तो (परिशिष्ट-1) का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

(छ) निविदा आमंत्रण सूचना में एकरूपता रखने के उद्देश्य से निविदा आमंत्रण सूचना का Model Draft परिशिष्ट- (2) के रूप में संलग्न है।

[signature]

(ज) एस0बी0डी0 के section-2 के तहत शपथ (Affidavit) संलग्न करने हेतु संशोधित शपथ पत्र (Affidavit) प्रारूप परिशिष्ट (3) के रूप में संलग्न है।

(झ) कार्यानुभव के तहत Common एवं Major Item of work के लिए ही अनुभव की मांग की जाए ना कि Minor Item के लिए ।

उपरोक्त वर्णित मार्गनिर्देशों को आमंत्रित निविदाओं की शर्तो में शामिल करने हेतु सभी मुख्य अभियंता अपने-अपने प्रक्षेत्रों में सुनिश्चित करेंगे। यह दिशा निर्देश निर्गत तिथि से लागू मानी जाएगी। प्रासंगिक पत्र से निर्गत मार्गनिर्देश की अन्य कंडिकाएँ विलोपित समझा जाए।

अनु: यथोक्त।

विश्वासभाजन

13/6/2013

(एस0के0चटर्जी)

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक- 536 पटना, दिनांक - 13.06.2013

प्रतिलिपि अभियंता प्रमुख (उत्तर/मध्य)/सभी अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग संगठन/अधीक्षण अभियंता, उड़नदस्ता अंचल, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/6/2013

(एस0के0चटर्जी)

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

Node 2/Desktop Anil.EE/ J S.Latter